न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2786 दिनांक 23/12/2022

अनवान :–

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ताजाराम वगैरा	बनाम	मांगाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 142/2018 दिनांक : 22.12.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र शोभाला जेतमाल के मौजा उदसियार के खेत खसरा सं. 198/74, 78, 87 रकबा क्रमशः 35.06, 42.14, 69.06 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/2787 to 2790 दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण ताजाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण मांगाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजनवा/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:33:11 IST
Reason: SelfAttested

(भा.[illegible] II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन